न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 189/2018
GCMS NO. : 2018/00245

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. गोपीराम पुत्र अन्नाराम सोलंकी जाति– सिरवी 2. रूपीदेवी पत्नी गुदड़राम बर्फा जाति– सिरवी 3. मंगलाराम पुत्र गुदड़राम बर्फा जाति– सिरवी निवासीगण– निम्बोल, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।		1. दशरथ सिंह पुत्र गोपाल सिंह 2. श्यामसिंह पुत्र गोपाल सिंह 3. शंकरसिंह पुत्र गोपाल सिंह जातियान– राजपूत, निवासीगण– निम्बोल, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0। 4. तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण, जिला पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजूः.18.07.2018**

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री किशोर कुमावत बिरोल, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 27/03/2024**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा निम्बोल, पटवार हल्का निम्बोल, तहसील जैतारण जिला पाली में निम्बोल से लितरिया जाने वाली सड़क से पूर्व तरफ निम्बोल लितरिया सड़क से चिपते हुए ही प्रतिवादीगण व अन्य हिस्सेदारों की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 723 रकबा 88 बीघा किस्म चाही प्रथम की आई हुई थी। जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 का 26/29वां हिस्सा आया हुआ था। प्रतिवादीगण का इस 88 बीघा भूमि में से 1/3 वें हिस्से की कुल 29 बीघा जमीन आई हुई है। जिसकी चालू जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। प्रतिवादीगण की इस खसरा नम्बर 723 की विवादित भूमि के अलावा खसरा नम्बर 685 की भूमि भी मौजा निम्बोल में ही आई हुई है। प्रतिवादीगण ने अपना दोनों ही खसरा नम्बरान् 685 व 723 की भूमि पर एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक शाखा निम्बोल से ऋण लिया हुआ था। कालान्तर में प्रतिवादीगण को अपनी जायज जरूरत हेतु खसरा नम्बर 723 से कुछ भू भाग बेचने की आवश्यकता हुई जिस पर प्रतिवादीगण ने अपने आर.एम.जी.बी. शाखा निम्बोल से लिया हुआ पूरा ऋण वापस बैंक में जमा करवाकर एवं खसरा नम्बर 723 की भूमि में से कुछ भू भाग बेचना तय किया था। इस पर प्रतिवादीगण ने खसरा नम्बर 723 में से कुछ भू भाग बेचने हेतु प्रतिवादीगण के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा जिस पर प्रतिवादीगण ने इसी खसरा नम्बर 723 की भूमि में से 1 भूमि यानि 1/3 का 1/29वां हिस्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:11:01 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

पंजीबद्ध बेचान वादीगण गोपीराम के पक्ष में दिनांक 18.03.2013 का निष्पादित करवाया था व उसी दिन प्रतिवादीगण ने इसी खसरा नम्बर 723 में से ही 1 बीघा यानि 1/3 का 1/29 वां हिस्सा बैचान किया था लेकिन उक्त बैचान के बैचाननामा तैयार करते समय दस्तावेज लेखक की गलती से बैचान किये गये खसरा नम्बर 723 की बजाय उक्त ऊपर वर्णित दोनों की बैचान विलेख में खसरा नम्बर 685 का उल्लेख सहवन से कर दिया गया। वास्तविकता में बेचान खसरा नम्बर 723 में से किया गया था। जो बेचान विलेख के पेज संख्या 07 विक्रत भूमि की लोकेशन से निम्बोल से लितरिया जाने वाली सड़क के पास स्थित होने दर्शाया गया है जबकि खसरा नम्बर 685 की जमीन तो निम्बोल से धारनाड़ा रोड़ की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ स्थित है, साथ ही खसरा नम्बर 685 की जमीन हमेशा से ही असिंचित रहीं है एवं वादीगण ने खसरा नम्बर 685 का कोई भू-भाग नहीं खरीदा था न ही मौके पर खसरा नम्बर 723 की भूमि पर ही मौके पर 2 बीघा का कब्जा प्राप्त किया था। इस प्रकार से दिनांक 18.03.2013 को वादीगण के पक्ष में निष्पादित किये गये दोनों ही बेचान विलेख में खसरा नम्बर 685 का लिपिकीय भूल से गलत अंकन हो गया है। जिसे वादीगण जरिये घोषणा के दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। इस खसरा नम्बर 685 का गलत अंकन होने के पश्चात जरिये नामान्तरण की कार्यवाही में भी खसरा नम्बर 685 की भूमि में ही नामान्तणकरण किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अंकन कर दिया गया है जो कतई गलत है, वास्तविकता में वादीगण ने खसरा नम्बर 723 की भूमि में ही जमीन खरीदी एवं मौके पर कब्जा भी खसरा नम्बर 723 की भूमि पर ही प्राप्त किया था। इस प्रकार से खसरा नम्बर 685 की बजाय जरिये घोषणा के वादीगण खसरा नम्बर 723 की भूमि मे बतौर खातेदार काश्तकार के माफिक बेचान विलेख विलेख के अनुसार अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी होने से एवं इस आशयक की रेकर्ड दुरूस्ती की घोषणा करवाने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। वादीगण गोपीराम ने प्रतिवादीगण से उक्त खसरा नम्बर 723 में से 1 बीघा भूमि खरीद की थी, तत्पश्चात् इसी भूमि को वादीगण गोपीराम ने आगे वादीगण मंगलाराम को बेचान की दी थी। जिसमें भी बेचान की गई भूमि की लोकेशन निम्बोल से लितरिया जाने वाली सड़क के पास स्थित होना दर्शाया गया है तथा वहीं पर वादीगण मंगलाराम ने कब्जा भी प्राप्त किया हुआ है। मौके पर वादीगण ने जो भूमि खरीद की थी उसकी तारबंदी करवाई हुई है तथा मौके पर खसरा नम्बर 685 की भूमि पर वादीगण का कोई कब्जा व हक अधिकार नहीं होकर के खसरा नम्बर 723 की 02 बीघा भूमि यानि प्रतिवादीगण के 1/3 वें हिस्से की भूमि में से 2/29 वें हिस्से के वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार है व इसी माफिक अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से खसरा नम्बर 723 में से प्रतिवादीगण के 1/3 वें हिस्से मे से 2/29 में हिस्से की भूमि खरीद करते हुये मौके पर कब्जा भी प्राप्त किया हुआ है लेकिन बेचान विलेखों व राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय भूल के गलत खसरा दर्ज होने की वजह से अब प्रतिवादीगण की नियत में खोट आ गई है एवं प्रतिवादीगण रेकर्ड में दुरूस्ती कराने से इन्कार करते हुये वादीगण से खसरा नम्बर 723 का कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:11:01 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

छोड़कर खसरा नम्बर 685 में कब्जा देने का कथन कर रहे है। इस बाबत दिनांक 05.06.2018 को प्रतिवादीगण ने एलानिया धमकी दी है। यदि प्रतिवादीगण अपने इस नापाक ईरादों में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी, तब मौके पर विवाद होगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। जिस पर वादीगण के पास यह वादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 04 तहसीलदारर एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने उनको वाद पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरूद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व 02 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है परन्तु वादीगण का वादपत्र अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का है कारण की प्रतिवादीगण ने मौके पर लड़ाई झगड़ा व विवाद करते हुये वादीगण को बेकाबिज करने को आमादा है। तब उक्त दो माह का नोटिस देने एवं ऐसी अवधि पूर्ण होने में काफी लम्बा समय लगेगा। इस अवधि के दौरान उक्त प्रतिवादीगण को बेकाबिज कर देगें तब इस नोटिस देने की कार्यवाही को डिस्पेन्सविथ किया जाना आवश्यक होने से इस बाबत् प्रार्थना पत्र पृथक से पेश कर अनुमति लेते हुये वादपत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। बिनाय वाद दिनांक 05.06.2018 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को रेकर्ड दुरूस्ती कराने से इन्कार करने पर वादीगण को उक्त विवादित भूमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम निम्बोल जैतारण में पैदा हुआ है, जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जो सामिल मिसल है। प्रतिवादी दशरथसिंह ने जवाब दावा प्रस्तुत कर जवाबदावा में कथन किया है कि वाद पद के पैरा संख्या एक का जवाब है कि सरहद मौजा निम्बोल पटवार हल्का तहसील जैतारण जिला पाली में निम्बोल से लितरिया जाने वाली सड़क के चिपते ही प्रतिवादीगण व अन्य सह हिस्सेदारो की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई है। जो सही एवं सत्य है तथा अन्य तथ्य भी सही होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पैरा संख्या दो से सात का जवाब है कि सही एवं सत्य होने से स्वीकार है। वादपत्र के पैरा संख्या नौ का जवाब है कि सरहद मौजा निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल में स्थित वादीगण द्वारा मुझ जवाब देहन्दा से खरीद सुदा भूमि खसरा नम्बर 723 के बजाय बेचान विलेख में राजस्व रेकर्ड में किये अंकन खसरा नम्बर 685 को दुरूस्त करते हुए वादीगण संख्या दो व तीन को खसरा नम्बर 723 में से प्रतिवादीगण यानि कि जवाब देहन्दा के 1/3वां हिस्से में 2/29 वां हिस्से का रेकॉर्ड काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें, तो मुझ जवाब देहन्दा को किसी प्रकार की आपत्ति व ऐतराज नहीं है। वादीगण ने जवाब देहन्दा से जरिये बेचान विक्रय विलेख से क्रय की है। जबकि बेचान नामा तैयार करते समय सहवन से खसरा नम्बर 723 के बजाय खसरा नम्बर बेचाननामा में 685 का उल्लेख कर दिया गया है, जो एक रोंग एन्ट्री है। जिसको दुरूस्त किया जाता है तो मुझ जवाब देहन्दा को कोई आपत्ति नहीं है। बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:11:01 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध हस्तगत वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा निम्बोल, पटवार हल्का निम्बोल, तहसील जैतारण में प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 723 रकबा 88 बीघा किस्म चाही प्रथम आई हुई है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का 26/29 वां हक हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादीगण का इस 88 बीघा भूमि में से 1/3 वें हिस्से की कुल 29 बीघा जमीने आई हुई है। प्रतिवादीगण ने दिनाँक 18.03.2013 को खसरा नम्बर 723 में से 1 बीघा भूमि यानि 1/3 का 1/29वां हिस्से का बेचान वादी गोपीराम के पक्ष में जरिये पंजीबद्ध बेचान के तथा इसी दिनांक को खसरा नम्बर 723 में से 1 बीघा भूमि यानि 1/3 का 1/29वां हिस्से का बेचान वादीया रूपीदेवी के पक्ष में जरिये पंजीबद्ध बेचान के निष्पादित करवाया गया था लेकिन लिपिकीय त्रुटिवश बेचान विलेख में खसरा नम्बर 723 की जगह खसरा नम्बर 685 दर्ज हो जो की एक रोंग एन्ट्री है। जिसे दुरूस्ती करवाने वादीगण अधिकारी है, अतः उक्त रोंग एन्टी को दुरूस्त कर वादीगण संख्या 2 व 03 का नाम खसरा नम्बर 723 में दर्ज करवाने का आदेश पारित करवाने का अनुतोष चाहा है।
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 दशरथसिंह ने जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित समस्त तथ्य सत्य एवं सही है होने से स्वीकार किया है तथा सरहद मौजा निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल में स्थित वादीगण द्वारा मुझ जवाब देहन्दा से खरीदसुदा भूमि खसरा नम्बर 723 के बजाय बेचान विलेख में राजस्व रेकर्ड में किये अंकन खसरा नम्बर 685 को दुरूस्त करते हुए वादीगण संख्या दो व तीन को खसरा नम्बर 723 में से प्रतिवादीगण यानि कि जवाब देहन्दागण के 1/3 वां हिस्से में 2/29वां हिस्सा का रेकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें, अर्थात माफिक इस्तदुआ वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है तो मुझ जवाब देहन्दा को कोई आपत्ति या ऐतराज नहीं है क्योंकि वादीगण ने जवाब देहन्दा से जरिये बेचान विक्रय विलेख से क्रय की है, जबकि बेचाननामा तैयार करते समय सहवन से खसरा नम्बर 723 के बजाय खसरा नम्बर 685 का उल्लेख कर दिया गया है, जो एक रोंग एन्ट्री की तारीफ मे आता है। जिसको दुरूस्त किया जाता है तो मुझ जवाब देहन्दा को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा भी वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 685 में से वादीगण संख्या 02 व 03 का नाम विलोपित कर इनके नाम खसरा नम्बर 723 के भू अभिलेख में दर्ज करने की इस्तदुआं की है
3. ग्राम निम्बोल के खसरा नम्बर 723 जमाबन्दी संवत् 2073-2076 प्रदर्श-1 एवं गिरदावरी प्रदर्श-2 के अनुसार वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। ग्राम निम्बोल के खसरा नम्बर 685/2 की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 प्रदर्श-3 एवं गिरदावरी प्रदर्श-4 में गोपीराम पुत्र अन्नाराम कौम सीरवी सा. देह खातेदार दर्ज है तथा ग्राम निम्बोल के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:11:01 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (राज.)

खसरा नम्बर 685/1 की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 प्रदर्श–5 एवं गिरदावरी प्रदर्श–6 में रूपीदेवी पत्नी गुदड़राम कौम– सीरवी सा. देह खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–7ए दशरथसिंह, श्यामसिंह, शंकरसिंह पि0 गोपालसिंह कौम राजपूत साकिन निम्बोल तहसील जैतारण द्वारा श्रीमती रूपीदेवी पत्नी गुदड़राम के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध बैचाननामा तथा प्रदर्श–9ए दशरथसिंह, श्यामसिंह, शंकरसिंह पि0 गोपालसिंह कौम राजपूत साकिन निम्बोल तहसील जैतारण द्वारा गोपीराम पुत्र अन्नाराम सीरवी के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध बेचाननामा जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 685 में अपने 1/3वें हक हिस्से की आराजी में से 2/29वां हिस्से की आराजी का बेचान क्रमशः रूपीदेवी व गोपीराम के पक्ष में निष्पादित किया।

4. वादी मंगलाराम द्वारा वादपत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र PW-1 तथा बगदाराम पुत्र नारायणलाल जाति सीरवी उम्र 52 वर्ष निवासी पातुस तहसील जैतारण द्वारा साक्ष्य शपथपत्र PW-2 पेश कर वादपत्र में वर्णित कथनों का समर्थन किया। प्रतिवादीगण संख्या 1 दशरथसिंह ने जवाब दावा पेश कर कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 723 के बेचाननामा (विक्रय विलेख) वादीगण के नाम तैयार करवाते समय खसरा नम्बर 723 के स्थान पर सहवन खसरा नम्बर 685 हो गया जो की रोंग एन्ट्री है जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है और वादपत्र माफिक इस्तदुआ के डिक्री किया जाता है तो इसमें जवाबदेहन्दा को कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है।

5. चुंकि हस्तगत प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, साक्ष्य शपथपत्र एवं बेचान विक्रय विलेख तथा प्रतिवादीगण दशरथ सिंह द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित कथनों एवं तथ्यों का समर्थन करने व वादीगण द्वारा वांच्छित अनुतोष से भी सहमति जाहिर करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 723 का बेचान वादीगण रूपीदेवी व गोपीराम के पक्ष में किया था लेकिन बेचान विक्रय विलेख के दस्तावेज तैयार करते समय सहवन से हुई त्रुटि के कारण खसरा नम्बर 723 के बजाय बेचान विलेख में खसरा नम्बर 685 का अंकन हो गया तथा बाद में खसरा नम्बर 685 के भू अभिलेख में वादीगण गोपीराम व रूपीदेवी के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत होकर गोपीराम के नाम खसरा नम्बर 685/2 तथा रूपीदेवी के नाम खसरा नम्बर 685/1 अमल दरामद होकर भू नक्शे पर अलग–अलग तरमीम हो चुका है तथा चुंकि प्रदर्श–8ए के अनुसार वादी गोपीराम पुत्र अन्नाराम सीरवी द्वारा खसरा नम्बर 685/2 का बेचान वादीगण संख्या 03 मंगलाराम पुत्र गुदड़राम के पक्ष में [illegible] 13.05.2016 को कर दिया है। इसलिए खसरा नम्बर 685/2 में अतः [illegible] नम्बर 685/1 व 685/2 के भू अभिलेख में दर्ज क्रमशः खातेदार रूपीदेवी पत्नी गुदड़राम व मंगलराम पुत्र गुदड़राम को विलोपित करते हुए इनका [illegible] नाम वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 723 के भू अभिलेख में प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि 1/3वें हिस्से के 2/29वे हिस्से तक अमल दरामद करवानें के वादीगण अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:11:01 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड–अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण(ब्यावर)

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि चुंकि प्रतिवादीगण संख्या 1 दशरथसिंह द्वारा वादीगण द्वारा वादपत्र में वर्णित वांच्छित अनुतोष के सम्बन्ध में सहमति जाहिर कि है। अतः उभयपक्ष की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, साक्ष्य शपथ, एवं बेचान विक्रय विलेख के आधार पर ग्राम निम्बोल के खसरा नम्बर 685/1 व 685/2 के भू अभिलेख से खातेदार क्रमशः रूपीदेवी पत्नी गुदड़राम व मंगलाराम पुत्र गुदड़राम का नाम विलोपित करते हुये वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 723 के भू अभिलेख में प्रतिवादीगण के हक हिस्से की आराजी 1/3वें हिस्से में 2/29वें हिस्से की तक आराजी में वादीगण संख्या 02 व वादीगण संख्या 03 का नाम भू अभिलेख बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कर वादपत्र स्वीकार करते हुए वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: *आदेश* ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा–88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा निम्बोल, पटवार हल्का निम्बोल तहसील जैतारण के वादग्रस्त आराजी के ***''खसरा संख्या 685/1 व 685/2''*** के भू अभिलेख में दर्ज खातेदार क्रमशः ***''रूपीदेवी पत्नी गुदड़राम व मंगलाराम पुत्र गुदड़राम''*** का नाम विलोपित करते हुए उक्त खातेदारान् का नाम ग्राम निम्बोल के खसरा नम्बर 723 के भू अभिलेख में प्रतिवादीगण के हक हिस्से की आराजी 1/3वें हिस्से के 2/29वें हिस्से तक दर्ज करते हुए ''रूपीदेवी पत्नी गुदड़राम'' व ''मंगलाराम पुत्र गुदड़राम'' को उनके हक हिस्से तक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद करें तथा खसरा नम्बर 685, 685/1 तथा 685/2 के भू अभिलेख को अद्यतन करे। वादपत्र इसी मुताबिक बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनाँक **27/03/2024** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sunder Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:11:01 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 189/2018
RCMS No. : 2018/00245

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. गोपीराम पुत्र अन्नाराम सोलंकी
जाति– सिरवी
2. रूपीदेवी पत्नी गुदड़राम बर्फा
जाति– सिरवी
3. मंगलाराम पुत्र गुदड़राम बर्फा
जाति– सिरवी
निवासीगण– निम्बोल, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।

1. दशरथ सिंह पुत्र गोपाल सिंह
2. श्यामसिंह पुत्र गोपाल सिंह
3. शंकरसिंह पुत्र गोपाल सिंह
जातियान– राजपूत, निवासीगण– निम्बोल, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।
4. तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण, जिला पाली राज०।

राजस्व वाद बाबत घोषणा
अन्तर्गत धारा 88, 92ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु०न० :– रा०वा० स०: 57/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री किशोर कुमावत बिरोल, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा–88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा निम्बोल, पटवार हल्का निम्बोल तहसील जैतारण के वादग्रस्त आराजी के ***"खसरा संख्या 685/1 व 685/2"*** के भू अभिलेख में दर्ज खातेदार क्रमशः ***"रूपीदेवी पत्नी गुदड़राम व मंगलाराम पुत्र गुदड़राम"*** का नाम विलोपित करते हुए उक्त खातेदारान् का नाम ग्राम निम्बोल के खसरा नम्बर 723 के भू अभिलेख में प्रतिवादीगण के हक हिस्से की आराजी 1/3वें हिस्से के 2/29वें हिस्से तक दर्ज करते हुए "रूपीदेवी पत्नी गुदड़राम" व "मंगलाराम पुत्र गुदड़राम" को उनके हक हिस्से तक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद करें तथा खसरा नम्बर 685, 685/1 तथा 685/2 के भू अभिलेख को अद्यतन करे। वादपत्र इसी मुताबिक बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल पाने तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 27/03/2024 को जारी किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:11:01 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	/		खर्चा गवाहान	/	
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः-	05	00	मिजानः-	01	00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, वहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:11:01 IST
Reason: SelfAttested